छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा पंचादश सत्र अंक-10

रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 फरवरी, 2018

(माघ 30, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04 से 08 एवं 10 से 16 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 03 एवं 09 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री मनोज सिंह मंडावी एवं श्री रोहित कुमार साय अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 05 एवं 12 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री शंकर ध्रुवा एवं श्रीमती देवती कर्मा के स्थान पर श्री दीपक बैज अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 49 तारांकित एवं 71 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो को हीरा पूर्वेक्षण की अनुमति दिये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि स्थगन प्रस्ताव कल्पना के आधार पर नहीं दिया जाता है। इसलिए उन्होंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना कक्ष में अग्राह्य कर दी है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) (ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 01 - माननीय अध्यक्ष द्वारा सर्वश्री श्यामलाल कंवर, रामदयाल उईके, अमरजीत भगत के नाम पुकारे गए। माननीय सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना नहीं पढ़ी गई।)

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.11 बजे स्थगित की जाकर 12.32 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने जिला महासमुंद में भालुओं के हमले से लोगों की मौत होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आकर बैठ गए।)

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, खेलसाय सिंह, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, सत्यनारायण शर्मा, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, दिलीप लहरिया, दलेश्वर साहू, बृहस्पत सिंह, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, गुरूमुख सिंह होरा, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री दीपक बैज, (डॉ.) प्रीतम राम, चिंतामणी महाराज, कवासी लखमा, सियाराम कौशिक, भोलाराम साहू, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), जनकराम वर्मा, भैयाराम सिन्हा एवं गिरवर जंघेल।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 02 पर चर्चा पूर्ण हुई।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

7. बजट पुस्तिका में संशोधन

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बजट पुस्तिका क्रमांक 17 में संशोधन प्रस्तुत किया ।

8. वर्ष 2018-2019 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) माननीय पंचायत मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री राजमंहत सांवलाराम डाहरे,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री केशव चंद्रा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री राजेन्द्र कुमार राय, डॉ. खिलावन साहू, डॉ. विमल चोपड़ा,

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या 28 एवं वन से संबंधित मांग संख्या 10 प्रस्तुत की।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों के निलंबन के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने अनुदान मांगों की चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्रवण मरकाम,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या 76, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 21, परिवहन से संबंधित मांग संख्या 36 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-24 पर सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय एवं केशव चंद्रा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री केशव चंद्रा,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक समयवृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल, राजेन्द्र कुमार राय, (डॉ.) विमल चोपड़ा, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी),

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी भाई पटेल, श्रीमती सरोजनी बंजारे, डॉ. खिलावन साहू,

9. बजट पुस्तिका में संशोधन

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण विभाग की बजट पुस्तिका क्रमांक 19 में संशोधन प्रस्तुत किया ।

10. वर्ष 2018-2019 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

सायं 6.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2018 (फाल्गुन-1, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा